न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल ,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2021

प्रार्थीगण

1. जीवसिंह
2. जबरसिंह पिसरान सवसिंहजी जातियान राजपूत निवासी मालवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. जयकुमार पुत्र कानमलजी
2. नितीन पुत्र सुरजमलजी
3. माधाणी अल्पेश पुत्र बाबुलालाजी
4. लाधाणी तेजपाल पुत्र कानमलजी तमाम जातियान जैन साकिनान मालवाडा तहसील रानीवाडा हाल श्याम कमल बिल्डिग 108, तेजपाल रोड इस्ट विंग अग्रवाल मार्केट विले पारले ईस्ट मुम्बई
5. शेरसिंह
6. गुमानसिंह पिसरान सरदारसिंहजी जातियान राजपूत निवासीयान मालवाडा तह. रानीवाडा
7. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत कटारिया।
4. अप्रार्थी संख्या 7 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 22.12.2021

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा मालवाडा तहसील रानीवाडा में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 1144/431 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नबंर 365 रकबा 0.05 हैक्टर, 430/772 रकबा 0.43 हैक्टर, 430 रकबा 1.02 हैक्टर आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी मौजा मालवाडा के नवीन खसरा नबंर 430 रकबा 1.02 हैक्टर, खसरा नबंर 365 रकबा 0.05 हैक्टर के उत्तर में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 427 रकबा 4.00 हैक्टर, खसरा नबंर 366 रकबा 0.[illegible] हैक्टर आई हुई है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नबंर 430 व 365 तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की आराजी खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:47 IST
Reason: SelfAttested

नबंर 427, 428 व 366 के बीच की माठ को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने खुर्द–बुर्द कर दिया है, जिससे मौके पर सीमा का विवाद पैदा हुआ है तथा प्रार्थीगण की आराजी खसरा नबंर 1144/431 के दक्षिण में अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की खातेदारी आराजी खसरा नबंर 1145/431 रकबा 0.54 हैक्टर आई हुई है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नबंर 1144/431 रकबा 0.010 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की आराजी खसरा नबंर 1145/431 रकबा 0.54 हैक्टर आराजी के बीच की माठ को अप्रार्थी संख्या 5 व 6 द्वारा जबरदस्ती कानुन के हाथ में लेकर नष्ट कर दिया, जिससे मौके पर प्रार्थीगण की आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की आराजी की माठ अस्पष्ट होने पर प्रार्थीगण की ओर से श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाडा से पैमाईश हेतु आदेश जारी करवाया तथा श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा के आदेश क्रमांक/सम/ 926 से 928 दिनांक 01.04.2021 की पालना में हल्का पटवारी आजोदर हल्का पटवारी मालवाडा व हल्का पटवारी बडगांव सीमांकन करने हेतु दिनांक 30.5.2021 को मौके पर आये तो मौके पर सीमा का विवाद होने से सीमांकन नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की आराजीयान की पैमाईश करवा कर उक्त आराजी का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गडढी किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

2. प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा मालवाडा तहसील रानीवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नवीन खसरा नबंर 430 रकबा 1.02 हैक्टर व खसरा नबंर 365 रकबा 0.05 हैक्टर, अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की आराजी मौजा मालवाडा के नवीन खसरा नबंर 427 रकबा 4.00 हैक्टर खसरा नबंर 366 रकबा 0.21 हैक्टर आराजी की पैमाईश करवा कर प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नबंर 430 ,365 तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की उक्त आराजी खसरा नबंर 427, 366 के बीच की माठ कायम कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गडढी करवाने तथा मौजा मालवाडा तहसील रानीवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा नबंर 1144/431 व अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की आराजी खसरा नबंर 1145/431 की पैमाईश करवा कर उक्त आराजी खसरा नबंर 1144/431 व 1145/431 के बीच की माठ कायम कर उक्त माठों पर स्थाई चिन्ह पत्थर गडढी कायम करने के आदेश फरमावे।
3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 6 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा मालवाडा के नवीन खसरा नबंर 430 रकबा 1.02 हैक्टर, खसरा नबंर 365 रकबा 0.05 हैक्टर के उत्तर में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 427 रकबा 4.00 हैक्टर, खसरा नबंर 366 रकबा 0.21 हैक्टर की अवश्य आई हुई है, मगर खसरा नबंर 430 व 465 तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की आराजी खसरा नबंर 427, 428 व 366 के बीच की माठ का अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं किया व अप्रार्थी के खेत खसरा नबंर 430 व 365 तथा अप्रार्थी के खेत खसरा नबंर 427, 428 व 366, 368 के बीच वर्षो पुरानी माठ कायम है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने अपनी आराजी खसरा नबंर 427, 428, 366 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:47 IST
Reason: SelfAttested

368 को खरीद किया तब अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की उक्त खरीद सुदा आराजी के चारों और बाड कायम की हुई थी तथा बाड़ के उपर बडे बडे वृक्ष खडे है तथा थोर की 40 वर्षो पुरानी बाड खडी है। मौके की स्थिति में अप्रार्थी ने किसी प्रकार से कोई छेडछाड नहीं की है, उल्टा प्रार्थी जमीन की विस्तारवादी नीति के चलते माठ के साथ छेडछाड कायम करता रहता है। तथा माठ को खुर्द बुर्द करता रहता है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने जिस हालात में उक्त आराजी को खरीद किया है, उसी हालात में वर्तमान में मौके पर माठ कायम है। अप्राथीगण संख्या 1 से 4 ने किसी प्रकार से कानुन को हाथ में नहीं लिया है। हल्का पटवारी कभी मौके पर नहीं आये तथा न ही हल्का पटवारी ने मौके पर आने बाबत हम अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को सुचना दी हो। यदि हल्का पटवारी ने इस प्रकार की कोई रिपोर्ट दी हैं तो वह रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की पीठ पिछे तैयार की गई है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को बिना सुचित किये की गई है। हम अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के बीच कोई माठ का विवादकायम नहीं है तथा न ही हम अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने माठ को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द किया है। अप्रार्थी संख्या 5 से 6 तथा प्रार्थीगण आपस में भाई जो आपस में मिलकर हमारी आराजी को हडप करना चाहते है तथा मेरी आराजी को खुर्द बुर्द करना चाहते है। इसलिये प्रार्थी काउन्टर प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपनी आराजी की पैमाईश करवा कर पत्थर गड्ढी करना चाहते है, जिसे हेतु यह काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावें तथा अप्रार्थी के खेत खसरा नबंर 427, 428 व 366 की पैमाईश करवा कर पत्थर गड्ढी करवाने के आदेश फरमावें।

5. प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अधिवक्ता व भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा की बहस सूनी गई। बहस में प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के मध्य सीमा विवाद होने से पत्थर गड्ढी करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विद्वांन अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थीगण की उक्त आराजी में मौके की स्थिति में किसी प्रकार से कोई छेडछाड नहीं की है, उल्टा प्रार्थी जमीन की विस्तारवादी नीति के चलते माठ के साथ छेडछाड कायम करता रहता है। तथा माठ को खुर्द बुर्द करता रहता है। अप्रार्थी संख्या 5 से 6 तथा प्रार्थीगण आपस में भाई जो आपस में मिलकर हमारी आराजी को हडप करना चाहते है तथा मेरी आराजी को खुर्द बुर्द करना चाहते है। इसलिये प्रार्थीगण काउन्टर प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपनी आराजी खसरा नबंर 427, 428 व 366 की पैमाईश करवा कर पत्थर गड्ढी करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 7 राजपेरोकार द्वारा बहस में बताया कि दिनांक 30.05.2021 को मौजा मालवाडा के खसरा नम्बर 1144/431, 430/772 कुल रकबा 0.53 हेक्टेयर की पैमाईश हेतु गठित कमेटी द्वारा खसरा नम्बर 1144/431, 430/472 की माठो को चिन्हीत किया गया, मोके पर खसरा नम्बर 430/772, 430, 427 व 428 की माठों का विवाद व खसरा नम्बर 430/772, 1144/431 में कब्जे संबंधी विवाद होने से पैमाईश नही की गई।

6. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण के जवाब व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने व बहस के तथ्यों से पाया कि प्रार्थीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:47 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 30.05.2021 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकर किया है। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द में भी सीमाविवाद होना प्रतित होता है। अप्राथी संख्या 1 से 4 भी अपनी आराजी खसरा नम्बर खसरा नबंर 427, 428 व 366 की पैमाईश करवा कर पत्थर गड्ढी करना चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 427, 428, 430, 365, 366 ,1144/431, 1145/431, के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

–: आदेश :–

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा मालवाडा पटवारी मण्डल मालवाडा के खसरा नम्बर 427, 428, 430, 365, 366 ,1144/431, 1145/431 रकबा क्रमश 4.00, 0.16, 1.02, 0.05, 0.21, 0.10, 0.54 हैक्टेयर के आराजी की पैमाईश कर विवादित माठ के मद्देनजर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। किसी अन्य माठ का सीमा विवाद होने पर दोनों पक्षकारों को नया प्रार्थना पत्र पेश करने की अनूमति दी जाती है। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:47 IST
Reason: SelfAttested